

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

सं. 66/17 तारीख 7-9-17

उपनाम - हरजोकिन्द बनाम राम परम को. फो. ए. ए. ए.

प्रार्थनापत्र अस्थाई निवेद्याना

प्रार्थी की ओरसे श्री गेहलकुमारशर्मा एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 A & A के तहत पेश किया।

प्रस्तुत शपथपत्र न जमा बन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों के जरिये जोरिस से तलाब कर पत्रावली दि. सं. 22-9-17 को पेश हो।



जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

4892-4940
7-9-17

9-17 को प्रार्थी वकील उप. / अप्रार्थी नं. 13, 32, 40, 42 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा A.W. ने बकालतापत्र पेश किया। अप्रार्थी नं. 46 स्वयं उप. / अप्रार्थी नं. 1 ने नोटिस लेने से इन्कार किया। अप्रार्थी नं. 3, 47 का नोटिस अलग टोडाभीम जल हुआ है। अप्रार्थी नं. 44, 45 के नोटिस बापिल जल नहीं। शेष कबजद सूचना उप. नहीं। P.O. ला. मीटिंग में पद्ये श्री आर्य दि. 25-10-17 को पेश हो।

10-17 वकुलाय उप. / अप्रार्थी नं. 1, 2, 4, 12, 14, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। बादी वकील अप्रार्थी नं. 3, 44, 45, 47 के नोटिस तलब न पेश हो। कोस तलाबी न जमा दि. 23-11-17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

1 वकील उमयपक्ष उप०। वकील अग्रणी ने कपन क्रिया कि सुल दाना में जम्बव पेश कर दिया की प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञा में जम्बव पेश करना नहीं चाहते की वास्ते कलस दिनांक 6/9 को पेश हो।



18 वकूलाय उमस्थित/पीठासन अधिकारी दोरे पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 19-9-19 को पेश हो।




19 वकील उमयपक्ष उप०। अग्रणी वकील ने कलस हेतु समय पू पाहा। समय दिया गया। वास्ते कलस दिनांक 3.10.19 को पेश हो।



वकूलाय उप०। कलस हेतु पुनः समय पाहा। समय दिया गया। वास्ते कलस दिनांक 23.10.19 को पेश हो।



19 वकूलाय उप०। अग्रणी वकील ने कपन क्रिया कि इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञा को खारिज कर दिया जावे। प्रार्थना वकील के कपन पत्र यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निवेदाज्ञा खारिज क्रिया जाता की पत्रावली फेंसल अनुसार हेम नम्बर से काम हेम दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)